v/;k; & 2

nf"Vdk.k ,o ikfo/kh

2.1.0 प्रस्तावना :

2.1.1 ***lafo/kku d vuPNn 243 (I) ,o 243 (Y) d vuqlkj jk-fo-vk- dk vud dk;Z fu"ikfnr djus gsrq gS] ftuesa 'kkfey gS %& dj vk'k&Hkkfxrk ,o lgk;rk vuqnkuksa d ek/;e ls jkT; ljdkj ls LFkkuh; fudk;ksa dks lk/kuksa dk varj.k djuk]*** अपने कार्यो को अधिक कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की क्षमता में सुधार करने हेतु स्थानीय निकायों को अपने साधनों में संवृद्धि करने के उपाय सुझाना, ***i-jk-lLFkkvk*** एवं ***u-LFkk-fudk;k*** में आपस में ***vk'k foHkktu grq ekin.M fu/kkfjr djuk***, उन सिद्धांतों को स्पष्ट करना, जिन पर उनकी अनुशंसायें आधारित हैं तथा ***jkT; foRr dh leh{kk ,o vkn'kd vk/kkj ij mud iokuqeku r;kj djuk*** । स्थानीय निकायों के कार्यात्मक एवं वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर उनके संभावित प्रभावों को देखते हुये, ये कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उनकी अनुशंसाओं का सफल क्रियान्वयन स्थानीय निकायों को स्व–शासन की इकाइयों की ओर ले जाने में काफी सीमा तक सहायक हो सकता है। उनके ***Lo;a d lk/kuks***, राज्य ***ljdkj }kjk*** स्वयं एवं ***jk-fo-vk-*** की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदत्त साधन तथा ***d-fo-vk-*** की अनुशंसाओं के अनुसार ***dsUnz ljdkj*** द्वारा प्रदत्त साधनों की तुलना में स्थानीय निकायों को कहीं अधिक राशियों की आवश्यकता है।

2.1.2 साधनों पर राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के दावों को निपटाने के अतिरिक्त उनकी अनुशंसाओं से हस्तांतरण प्रक्रिया में वृद्धि, मजबूती, स्थिरता एवं पूर्वानुमान क्षमता भी अपेक्षित है। रा.वि.आ. के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण विषय एवं कार्य हैं। आयोग का दृष्टिकोण उसके कार्य की दिशा निर्धारित करेगा। यह आवश्यक है, कि उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी एवं व्यवहारिक हो। उसे ऐसा दृष्टिकोण अपनाना

होगा, जो विश्वसनीय समंकों के आधार पर उचित हो। सही दृष्टिकोण ही आयोग के विषयों को यथार्थ रूप में निपटाने में सहायक होगा।

2.2.0 राज्य वित्त आयोग का दृष्टिकोण :

2.2.1 अपने कार्य निष्पादन में आयोग का क्या दृष्टिकोण होना चाहिये ? इस प्रश्न का कोई सीधा–साधा उत्तर नहीं दिया जा सकता। दृष्टिकोण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित एवं निर्धारित होगा –

1. ***lo/kkfud iko/kku,***
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित **fopkjk/khu fo"k;]**
3. स्थानीय निकायों के साधनों की संपूर्ति के लिये ***d-fo-vk-*** द्वारा केन्द्र से राज्यों को राशियों के अंतरण संबंधी अनुशंसायें तैयार करते समय उसकी अपेक्षायें,
4. राज्य सरकार के ***foRrh; lk/ku]***
5. स्थानीय निकायों की ***foRrh; vko';drk;s*** एवं,
6. पूर्व रा.वि.आयोगों द्वारा ***viuk;k x;k nf"Vdk.k*** ।

2.2.2 ***jk-fo-vk- ,d v)Z&U;kf;d lLFkk g]S tk viuh vuq'kalkvksa ds fy;s viuh Lo;a dh ifØ;k] ikfo/kh ,oa fl)kar r; dj ldrh gSA*** आयोग को स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन रखना होगा। अनेक हित, जिनकी उसे रक्षा करनी है एवं उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुये, दृष्टिकोण को वस्तुपरक बनाना होगा। यह आवश्यक है, कि दृष्टिकोण समग्र एवं यथाक्रम हो तथा उसमें समंकों के एकत्रीकरण एवं उनके विश्लेषण की सही प्रक्रियाओं एवं प्राविधी के लिये सुझाव हों। संभव है, कि कभी–कभी विश्वसनीय समंकों की गैर उपलब्धता, जो स्थानीय वित्त में सामान्य बात है, के कारण आयोग द्वारा सुझाई गई

प्राविधी का अनुपालन न हो सके। कभी–कभी हो सकता है, समंकों की अनुपलब्धता के कारण रा.वि.आ. के वांछित परिणाम न मिल सके, जिससे उसे सही तकनीक एवं प्राविधी अपनाने में कठिनाई हो।

2.3.0 राज्य वित्त की समीक्षा :

2.3.1 ***jk-fo-vk- dh vuq'kalkvksa ds vk/kkj ij] jkT; ljdkj ls LFkkuh; fudk;ksa dks lk/kuksa dk vUrj.k jkT; ljdkj dh foRrh; fLFkfr] jktLo ,oa 0;; esa lrqyu ds fy;s mldh foRrh; fLFkfr lq/kkjus ,oa lqn`<+ djus ds mik;ksa rFkk jktLo ,oa jktdks"kh; ?kkVs de djus dh vko';drkvksa dh i`"BHkwfe esa djuh gksxhA*** यह अभ्यास राज्य सरकार की स्थानीय निकायों को राशियों के हस्तांतरण की क्षमता दिखायेगा। इसमें ***vxys ikap o"kksa*** के लिये कतिपय ***vkn'kkZRed vk/kkj*** पर किये गये, ***jktLo ,oa 0;;*** के पूर्वानुमान भी शामिल होंगे। ***LFkkuh; fudk;ksa ds fy;s jktdks"kh; ikdsat fu/kkZfjr djrs le; vk;ksx dks foRr iks"kd ,sfUlh dh {kerk ,oa mlds vkfFkZd LokLF; dk eq[; :i ls /;ku j[kuk gksxkA***

2.4.0 स्थानीय वित्त की समीक्षा :

2.4.1 रा.वि.आ. के प्रतिवेदन में हस्तांतरण के पूर्व एवं बाद दोनों अवधियों के लिये ***LFkkuh; fudk;ksa ds foRr ds fo'ys"k.k*** को शामिल करना होगा। ***jk-fo-vk ,oa ds-fo-vk- }kjk LFkkuh; fudk;ksa ds fy;s foRrh; iSdst r; djus ds fy;s vR;ko';d jktLo vUrjky ds vkdyu dh fn'kk esa ;g ,d egRoiw.kZ dne gS***, क्योंकि राजस्व की आवश्यकता व्यय उतरदायित्व से निर्धारित होती है तथा व्यय आवश्यकतायें उन कार्यो से प्रभावित होती हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों को निष्पादित करना होता है, अतएव रा.वि.आ. को ***iFker%*** संवैधानिक अपेक्षाओं के प्रकाश में ***LFkkuh; fudk;ksa ds dk;kZRed fodsUnzhdj.k dk eY;kadu*** करना

होगा। ***vxyk dne]*** उनके कर अधिकारों, जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये हैं और कहाँ तक स्थानीय निकायों ने उनका दोहन किया है, इस पृष्ठभूमि में उनके ***jktLo lk/kuk dk eY;kdu*** करना होगा। ***vk;kx LFkkuh; fudk;k d foRr dh ogr leh{kk XIIos fo-vk- d ifronu e idkf'kr ledk ,o NRrhlx< 'kklu] foRr foHkkx }kjk XIIos fo-vk- dk iLrr Lej.k i= d vk/kkj ij djxk]*** इस तथ्य के बावजूद, कि यह समंक असमूहित नहीं है तथा केवल पाँच वर्ष की अल्प अवधि के लिये है, वृहत समीक्षा के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के वित्त का एक सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन न्यादर्श सर्वेक्षण के आधार पर किया जायेगा। यह हमें ***u-LFkk-fudk;k*** एवं पंचायतों के राजस्व एवं व्यय की अधिक विस्तृत एवं असमूहित तस्वीर दे सकेगा। इन समंकों के आधार पर संपूर्ण राज्य के लिये अनुमानित समंक तथा आदर्शात्मक आधार पर अगले पाँच वर्षों के लिये पूर्वानुमान प्राप्त किये जा सकते हैं।

2.5.0 राजस्व अंतराल का आकलन :

2.5.1 राजस्व अंतराल का आकलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि ***;g vrjky gh jk-fo-vk- d ,o d-fo-vk- dh vuq'kalkvk d vk/kkj ij dUnh; ljdkj d LFkkuh; fudk;k dk jktdk"kh; idt lc/kh vuq'kalkvk dk vk/kkj gkxkA*** इस संबंध में ***XIIos fo-vk-*** द्वारा सुझाई गयी प्राविधी अत्यन्त प्रासंगिक है तथा रा.वि.आ. द्वारा अपनायी जा सकती है। ***d-fo-vk-*** ने कहा है ***^^jktLo vrjky dk vkdyu djr le; jk-fo-vk- dk ,frgkfld iofr;k d vk/kkj ij iokueku dju d LFkku ij jktLo ,o 0;; d vkdyu gr vkn'kkRed nf"Vdk.k viukuk pkfg;A jktLo tVku d ifr&0;fDr ekun.M*** तय करते समय कर आधार संबंधी समंकों तथा उचित उत्प्लावकता एवं साधन जुटाने की अतिरिक्त संभावनाओं की मान्यता के आधार पर ***u-LFkk-fudk;k***

द्वारा गैर–कर राजस्व के स्रोंतों को ध्यान में रखना चाहिये। प्रति–व्यक्ति मानदण्ड, मूल सेवाओं के प्रदाय में कतिपय सर्वश्रेष्ठ निष्पादनकर्ता ***u-LFkk-fudk;k*** एवं ***ipk;rk d }kjk*** किये जाने वाले औसत व्यय के आधार पर तय किये जा सकते है।" ***lex jktLo 0;; ,o lex Lo; d jktLo d chp dk vrj] ftl jktLo vrjky dgk tk ldrk g] jk-fo-vk- ,o d-fo-vk- dh vrj.k lc/kh vu'klkvk d nf"Vdk.k dk vk/kkj gkxkA***

2.5.2 विभाजनीय कोष :

jk-fo-vk- के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये, ***foHkktuh; dk"k*** निर्धारित करना तथा कोष निर्धारण के सिद्धांत तय करना। इस संबंध में, रा.वि.आ. का दृष्टिकोण निर्णायक होगा। ***foHkktuh; dk"k d rhu ?kVd gkx& jkT; d djk e vi'k] dN djk dk lkik x;k jktLo rFkk lgk;rk vunkuA*** इस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं (1) क्या विभाजनीय कोष में विभिन्न स्थानीय निकायों को आबंटन हेतु योजना एवं गैर योजना दोनों राशियों को शामिल करना चाहिये ? इस संदर्भ में यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा, कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित के.वि.आ. को राज्य सरकारों की केवल गैर योजना राजस्व व्यय आवश्यकताओं के लिये आबंटन करना होता है तथा योजना राशियों के आबंटन का कार्य योजना आयोग करता है। संविधान में स्थानीय निकायों की योजना एवं गैर योजना आवश्यकताओं में कोई अंतर नहीं किया गया है। वास्तव में, स्थानीय स्तर पर योजना एवं गैर योजना व्यय में अंतर अत्यन्त अस्पष्ट है, क्योंकि अधिकांश स्थानीय निकाय योजना एवं गैर योजना लेखे पृथक–पृथक नहीं रखते। ***dN jkT;k e iFke ,o f}rh; jk-fo-vk;kxk*** ने अंतरण के अपने प्रस्तावों में योजना एवं गैर योजना दोनों राशियों को शामिल किया था, परन्तु अनेक अन्य

राज्यों के साथ ***e/;izns'k ds izFke ,oa f}rh; jk-fo-vk;ksxksa*** ने अपना अंतरण गैर योजना राशियों तक ही सीमित रखा था तथा ***;kstuk jkf'k;ksa dk vkcaVu*** अपने–अपने ***jkT; ;kstuk eMyksa*** पर छोड़ दिया था। (2) दूसरा प्रश्न जो उपस्थित होता है, वह है ***foHkktuh; dks"k esa D;k vk'k] विभाजन*** हेतु राज्य सरकार का केवल कर राजस्व शामिल करना चाहिये अथवा कर एवं गैर कर राजस्व दोनों ? मध्यप्रदेश के प्रथम रा.वि.आ. सहित अनेक राज्यों के वित्त आयोगों ने विभाजनीय कोष में कर एवं गैर कर दोनों राजस्व को शामिल कर वैश्विक अंश–भागिता के विचार को अपनाया था।

2.5.3 हमारे पास राजस्व अंश–भागिता के अनेक आद कि हैं, जिनमें से हम चयन कर सकते हैंः– (i) राज्य सरकार के समस्त राजस्व में हिस्सेदारी का आद कि, जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा योजना एवं गैर योजना राशियाँ सभी शामिल हैं, (ii) कर में हिस्सेदारी का आद कि, (iii) विशिष्ट करों से प्राप्त राजस्व में हिस्सेदारी का आद कि तथा (iv) स्वयं के कर राजस्व की हिस्सेदारी का आद कि। ***vkn"kZd dk pquko jk-fo-vk- ds fopkjk/khu fo"k;ksa ij fuHkZj djsxk rFkk fopkjk/khu fo"k;ksa esa bl dh lhek esa dN u gksus ij jk-fo-vk- ds fu.kZ; ,oa foosd vkSj lao/kkfud izko/kkuksa ij fuHkZj gksxkA*** योजना राशियों एवं पूँजीगत राशियों का विभाजनीय कोष में शामिल करने का हमें कोई औचित्य नही प्रतीत होता। इसी प्रकार गैर कर राजस्व को विभाजनीय कोष में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। यह सब संवैधानिक प्रावधनों के प्रतिकूल है, यदि हम कर हिस्सेदारी के मॉडल को स्वीकार करते हैं, तो स्पष्टतः प्रश्न उठता है, कि क्या हमें राज्य सरकार के केवल स्वयं के कर राजस्व को शामिल करना चाहिये अथवा कुल कर राजस्व को, जिसमें के.वि.आ. की अनुशंसा पर राज्यों को अंतरित केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश भी शामिल होता है? इस संबंध में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है, जिसके अनुसार ***^^jkT;ksa ,oa LFkkuh; fudk;ksa esa jkT; }kjk yxk;s tk ldus okys djksa] 'kqYdksa] eglwyksa ,oa Qhl dh***

'k) ikfIr;k dk cVokjk^A स्पष्टतः केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य के हिस्से को विभाजनीय कोष के क्षेत्र से बाहर रखना होगा। भ्रम की स्थिति इसलिये बनी, कि कुछ रा.वि.आयोगों ने इस तथ्य के बावजूद, कि इस संबंध में संवैधानिक स्थिति बिलकुल स्पष्ट है, केन्द्रीय करों के अंश को भी विभाजनीय कोष में शामिल करने की अनुशंसा कर दी। ***vr,o ;g vk;kx vu'klk djrk g]] fd LFkkuh; fudk;k dk jkT; d 'k) Lo;a d dj jktLo e ,d fuf'pr ifr'kr feyuk pkfg;] ftldh x.kuk dUnh; djk e jkT; ljdkj d v'k dk ?kVk dj rFkk lkFk gh ldy Lo;a d dj jktLo e l ,d=hdj.k 0;; dk ?kVkdj djuh pkfg;A ;gh foHkktuh; dk"k gkxkA*** इस राशि का आकलन अधिनिर्णय अवधि में प्रतिवर्ष पिछले वर्ष के आंकडों के आधार पर करना होगा।

2.6.0 अंश–भागिता प्रक्रिया :

2.6.1 रा.वि.आ. का अगला कार्य स्थानीय निकायों में आबंटन हेतु अंश–भागिता प्रक्रिया निर्धारित करना है। इसमें शामिल होगा % (i) राज्य के ***'k) Lo;a d dj jktLo dk ifr'kr*** निर्धारित करना, जो स्थानीय निकायों में आबंटन हेतु ***foHkktuh; dk"k*** होगा। यह प्रतिशत रा.वि.आ. की संपूर्ण अधिनिर्णय अवधि के लिये लागू रहेगा, (ii) निर्धारित कोष में ***i-jk-lLFkkvk*** एवं ***u-LFkk-fudk;k d iFkd&iFkd v'k*** तय करना, (iii) विभिन्न ***i-jk-lLFkkvk*** एवं ***u-LFkk-fudk;k e vkil e forj.k gr ekun.M*** निर्धारित करना।

2.6.2 स्थानीय निकायों को ***yEcor~ gLrkrj.k*** के मानदण्ड तय करने में रा.वि.आ. का दृष्टिकोण सरल होना चाहिये। के.वि.आ. द्वारा लम्बवत् हस्तांतरणों की अनुशंसा के लिये अनेक मानदण्डों का उपयोग किया जाता रहा है। रा.वि.आ. राज्य की ***i-jk-lLFkvk*** एवं ***u-LFkk-fudk;k*** को लम्बवत् हस्तांतरणों के लिये जनसंख्या का सरल मानदण्ड अपनाना चाहेगा, जो मोटे तौर पर आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न स्थानीय निकायों में आपस में ***{kfrt gLrkrj.kk*** के लिये अनेक मानदण्ड हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या, प्रति–व्यक्ति कर राजस्व, लागत अयोग्यतायें, जो ऐसे

कारकों से उत्पन्न होती हैं, जिन पर स्थानीय निकायों का कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे पहाडी भू–संरचना, अत्यधिक वर्षा सूखा ग्रस्तता, अधो–संरचना विकास का सूचकांक, गंदी बस्ती आबादी तथा नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक ढ़ाँचा। निश्चित ही हस्तांतरणों का आधार एक ऐसा सूचकांक रखना उचित होगा, जो इसी उद्देश्य से विभिन्न कारकों को भिन्न–भिन्न भार देते हुये निर्मित किया गया हो, परन्तु स्थानीय स्तर विशेषकर ग्रामीण स्तर एवं छोटे कस्बों के स्तर पर यह दृष्टिकोण अपनाना कठिन होगा, क्योंकि इनसे संबंधित विश्वसनीय समंक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पारस्परिक भार निर्धारण करना, एक जटिल कार्य होगा। विभिन्न राज्यों के अधिकांश प्रथम एवं द्वितीय रा.वि.आयोगों ने ***{kfrt gLrkrj.k*** तय करने के लिये ***tul[;k] ifr&0;fDr dj jktLo] rFkk dfri; lokvk ij ifr&0;fDr 0;; d ljy ekun.Mk*** को अपनाया था। राजस्व जुटाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, कुछ रा.वि.आयोगों ने प्रति–व्यक्ति कर राजस्व को मानदण्डों में शामिल किया था।

2.6.3 ***e/;in'k d nlj foRr vk;kx*** ने, प्रत्येक नगर पालिकाओं का अंश 90% ***tul[;k*** के मानदण्ड के आधार पर तथा 10% किसी नस्था.निकाय की ***xnh cLrh vkcknh d jkT; dh dy uxjh; xnh cLrh vkcknh e v'k*** के अनुसार निर्धारित करने की अनुशंसा की थी। गंदी बस्ती आबादी के प्रतिशत के आधार पर आबंटित इस राशि का उपयोग संबंधित न.स्था.निकाय में गंदी बस्ती आबादी की बेहतरी के लिये किया जा सकेगा।

2.6.4 यह जानते हुये भी, कि कुछ और मानदण्डों को शामिल किया जा सकता था, आयोग ***tul[;k d ekun.M*** को अपनायेगा, जो वस्तुपरक है तथा जिसके बारे में जनगणना द्वारा विश्वसनीय समंक उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही आबंटन फार्मूला में साम्यता लाने के लिये कुछ भार नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्ती आबादी के प्रतिशत को दिया जायेगा। समंकों की अनुपलब्धता से उत्पन्न उलझनों से बचने एवं मानदण्ड में व्यक्तिपरक तत्व न आ सके, इसलिये अन्य मानदण्डों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2.7.0 स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान :

2.7.1 **dj jktLo dh va'k&Hkkfxrk** के अतिरिक्त ***jk-fo-vk-*** को **lgk;rk vuqnkuk** के रूप में हस्तांतरणों की अनुशंसा करनी होगी। सामान्य उद्‌देशीय अनुदानों में कुछ प्रोत्साहन/हतोत्साहन तत्व रखना उचित होगा, जिससे स्थानीय निकाय अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने हेतु प्रेरित हों। इन अनुदानों की प्रकृति सामूहिक होती है, जिनका अधिकांश उपयोग प्राथमिकताओं के अनुरूप मूलभूत सेवाओं के सुधार में किया जाना चाहिये। ***lHkor% vuqnkuk d vkcVu d fy; vk;kx dN ijd rRo d lkFk tul[;k d ekun.M dk viuk;xkA ;s ikRlkgu rRo fiNy o"kk dh ekx dh rqyuk e lifRr dj dh olyh ij vk/kkfjr gkxk rFkk ifr 0;fDr vuqnku e of) lifRr dj dh olyh e ifr'kr e gkus okyh of) d lkFk tqMh gkxhA***

2-7-2 ***fof'k"V vuqnkuk*** की ***idfr c/kudkjh*** होती है, जिनका उद्‌देश्य कतिपय चिन्हित क्रियाकलापों का वित्त पोषण करना होता है, जैसे पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें, मार्गप्रकाश, सड़कों का रख–रखाव इत्यादि। ***;s vuqnku] fof'k"V lsokvk d ink; ,o mUgs d'kyrk d ,d fof'k"V Lrj ij cuk;s j[kus rFkk LFkkuh; fudk;k }kjk vuqnkunkrk ,tsUlh }kjk funsf'kr lhek rd Lo;a d lk/kuk dk nkgu djus dh 'kfDr d lkFk gkrs gSA***

2.8.0 सौंपे गये राजस्व का हस्तांतरण :

2.8.1 ***jk-fo-vk-*** को स्थानीय निकायों को ***lkSis x;s jktLo*** के हस्तांतरण पर भी विचार करना है। ***;k=hdj] iFkdj] eukjatu dj] dN djk ij vf/kHkkj tSls dfri; dj gS]*** जो यद्यपि यथार्थ में स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, परन्तु या तो कुछ ऐतिहासिक कारणों से अथवा बेहतर वसूली के हित में राज्य

सरकार द्वारा अधिरोपित एवं वसूल किये जाते हैं। इन करों से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों को संबंधित अधिकार क्षेत्रों में वसूले गये राजस्व के आधार पर स्थानीय निकायों को सौंपना होगा।

2.8.2 ***jk-fo-vk-*** को इस बात का तथ्यात्मक परीक्षण करना होगा, कि स्थानीय निकायों ने कहाँ तक अपने स्वयं के साधनों का दोहन किया है और यह भी, कि कहाँ तक राज्य सरकार ने कर अधिरोपण एवं करों की दरों में परिवर्तन के अधिकार को बाधित किया है। ***l?kh; 0;oLFkk e dN ifrc/k vo';eHkkoh gkr g] D;kfd jkT; ljdkj }kjk LFkkuh; fudk;k dk lk/kuk d vrj.k d fu/kkj.k e Lo;l d i;kl l lk/ku tVkuk ,d 'kr gkxhA*** अतएव रा.वि. आ. स्थानीय निकायों से इस क्षेत्र में उनके कमज़ोर निष्पादन के कारणों को समझने हेतु आवश्यक जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेगा।

2.9.0 राजकोषीय पैकेज से आगे :

2.9.1 राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को साधनों के अंतरण की अनुशंसा के अतिरिक्त ***jk-fo-vk-*** को ***jktdks"kh; iSdt*** से आगे जाकर ***{kerk fuek.k ,o i'kklfud lq/kkj] LFkkuh; 'kklu d fuokfpr ,o dk;ikfyd vxk d chp lac/k] dfri; LFkkuh; lokvk e lkoltfud futh lk>nkjh] dfri; lokvk d futhdj.k] ctVh; ifØ;k ,o y[kk i).kkyh lfgr jktdks"kh; lq/kkj rFkk led vk/kkj fuek.k djus tl {k=k e Hkh vuq'kalk;s djxkA*** इन सभी को ***^^jktdks"kh; iSdt l vkx^^*** नामक शीर्षक में रखा जायेगा। काफी हद तक स्थानीय निकायों का सफल निष्पादन इन समस्याओं के हल पर निर्भर करता है। इस प्रकार ***vk;kx dk nf"Vdks.k doy LFkkuh; fudk;k d***

foRrh; lk/kuk e l/kkj d i;kl djuk gh ugh gkxk] oju dfri; xj&jktdk"kh; mik;k l mudk fu"iknu e l/kkj djuk Hkh gkxkA

2.10.0 राज्य वित्त की पुनर्रचना :

2.10.1 ***jkT; foRr dh iujpuk*** संबंधी अनुशंसायें करते समय ***jk-fo-vk-*** कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ***jktdk"kh; iofRr;k*** पर ध्यान देगा, जो गंभीर चिंता का विषय हैं, जैसे ***dj@ldy jkT; ?kjy mRikn vuikr ¼l-jk-?k-m-vuikr½***, राजस्व प्राप्तियों पर बड़ी मात्रा में ब्याज भुगतान का पूर्वाधिकार, ऊँचे राजस्व घाटे, अत्यधिक गैर–धारणीय राजकोषीय घाटे, पूँजीगत व्यय का घटता स्तर, इत्यादि। परन्तु हमारा दृष्टिकोण प्रत्येक प्रकार के घाटे को अवांछित मानना नहीं होगा। ***,lk jktdk"kh; ?kkVk] ftldk iel[k dkj.k c<rk gvk jktLo ?kkVk gk] /kkj.kh; ugh g] ijUr c<r g;s itth fuos'k l mRiUu jktdk"kh; ?kkV /kkj.kh; gk ldr g rFkk jkT; d fodkl d fgr e] okNuh; HkhA***

2-11-0 jkT; foRr vk;kx dh vu'kl kvk dk fØ;kUo;u %

2.11.1 राज्य सरकार के ***lfpr dk"k e of)]*** स्थानीय निकायों के ***lk/kuk dk mUu;u]*** तथा ***jktdk"kh; l/kkj*** के उपाय संबंधी ***jk-fo-vk-*** की अनुशंसाओं के लिये विभिन्न स्तरों – ***LFkkuh; 'kklu] jkT; ljdkj ,o dUn ljdkj*** पर उचित कार्यवाही आवश्यक है। यद्यपि अधिकांश अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर, ***^^dr dk;okgh ifrounu**^^*** के लिये निर्णय लिया जायगा, फिर भी कतिपय ऐसे विषय एवं क्षेत्र हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विचार क्षेत्र में आते हैं तथा इस कारण उनके संबंध में केन्द्र स्तर पर कार्यवाही वांछित होगी। ***d-fo-vk-*** से निवेदन किया जा सकता है, कि वह इन विषयों पर विचार कर केन्द्रीय सरकार को अपनी राय दे। वर्तमान में अधिकांश राज्यों के ***jk-fo-vk-*** ऐसे विषयों एवं समस्याओं, जिन पर केन्द्रीय शासन के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है, को चिन्हित नहीं कर रहे हैं। इस तथ्य की ओर ***XIIoa d-fo-vk-*** ने

अपने प्रतिवेदन में ध्यान दिलाया है। ***jk-fo-vk-*** ऐसी समस्याओं एवं अनुशंसाओं को चिन्हित करने का प्रयास करेगा, जिन पर केन्दीय कार्यवाही वांछित हो।

2-12-0 fu"d"k ¾

2.12.1 इस अध्याय में आयोग ने अपने ***fopkjk/khu ¼lnHkk/khu½ fo"k;k*** एवं ***lo/kkfud mRrjnkf;Rok*** से उत्पन्न विषयों से संबंधित अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उसने संवैधानिक दायित्वों के प्रकाश में ***dk;kRed fodUnhdj.k dh ifØ;k ds eY;kdu] mfpr vkn'kkRed vk/kkj ij foRrh; vko';drkvk ds vkdyu] LFkkuh; fudk;k ds fy;s viuk jktdk"kh; iSdst rS;kj djus ds fy;s jktLo vUrjky ds vkdyu] LFkkuh; fudk;k }kjk dgk rd Lo;a ds lk/kuk dk tqVk;k x;k] blds ijh{k.k djus rFkk jkT; ljdkj*** द्वारा सहायता अनुदानों के प्रवाह, सभी के संबंध में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित किया है। उसने विभाजनीय कोष को ***ia-jk-lLFkkvk*** एवं ***u-LFkk-fudk;k*** के बीच आपस में आबंटन निर्धारित राशियों का विभिन्न स्थानीय निकायों में वितरण तथा स्थानीय निकायों के वित्तीय साधनों में वृद्धि के उपायो एवं स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने हेतु गैर राजकोषीय उपायों के संबंध में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। हमने राज्य सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से, जो स्थानीय निकायों को राज्य शासन के कोष में से अधिक राशियों के अंतरण के लिये अत्यावश्यक है, राज्य वित्त की पुनर्रचना संबंधी अपने दृष्टिकोण को भी रखा है। आयोग अपने विचाराधीन विषयों तथा ***ds-fo-vk-*** द्वारा उठाये गये ***jk-fo-vk;kxk*** की भूमिका संबंधी विषयों पर एक समग्र एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनायेगा।

2.12.2 ***jk-fo-vk-*** की अनुशंसाओं से राज्य के स्थानीय निकायों के संपूर्ण राजस्व अंतराल को नहीं पाटा जा सकता। ना ही ऐसा करना ***ds-fo-vk-*** द्वारा अनुशंसित अंतरण से संभव है। एक गतिशील समाज में स्थानीय कार्यो के फैलाव एवं गहनता के फलस्वरूप राजस्व अंतराल तो बढ़ेगा ही। राजस्व अंतराल को भरने का कार्य एक कठिन कार्य है तथा इसके लिये सभी संबंधी संस्थाओं स्थानीय निकाय, राज्य

सरकार, केन्द्र सरकार एवं देश में, घरेलू एवं विदेशी दोनों अभिकरण, जो संस्थागत वित्त उपलब्ध कराती हैं, के प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2.12.3 ***iR;d l?kh; lajpuk e 'kklu d mPp Lrjk l fupy Lrjk dh vkj jkf'k;k dk vrj.k gkrk g] ijUrq dgh Hkh bl vrj.k l lai.k vrjky dh Hkjikb ugh gkrhA*** भारत में पिछले 50 वर्षो से प्रचलित केन्द्र से राज्यों की ओर राजकोषीय अंतरण राज्य सरकारों की संपूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सका है। ***ipk;rk*** एवं ***u-LFkk-fudk;k*** के राजस्व अंतराल की पूर्ति करने का कार्य और अधिक कठिन है, क्योंकि माँग का आकार कही अधिक है तथा केन्द्र सरकार की तुलना में राज्य का कोष अधिक सीमित है। स्थानीय निकायों की स्वयं के वित्तीय साधन जुटाने की क्षमता भी सीमित है। ***jk-fo-vk- dk nf"Vdk.k gkxk] fd og ,d vkj jkT; d jktdk"kh; LokLF; rFkk nljh vkj LFkkuh; fudk;k dh vko';drkvk dk /;ku e j[kr g;] tgk rd lHko gk ldxk] jkT; ljdkj l LFkkuh; fudk;k dk jkf'k;k d vrj.k dh vu'kalk djxkA*** हमारा दृष्टिकोण स्थानीय निकायों के राजकोषीय अधिकार क्षेत्र के आधार को सुदृढ़ करना होगा। हमारा दृष्टिकोण राज्य सरकार से ऐसी मात्रा में साधन हस्तांतरण की व्यवस्था कराना होगा, जो राज्य के सरा.घ.उ. एवं राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में हस्तांतरणों के घटते हुए प्रतिशत को रोक सके।